देश के मुसलमानों की चुनावी घोषणा

यूपीए की केन्द्रीय सरकार ने पिछले साढे चार बरस में वक्फ बिल में ऑशिक संशोधन के अलावा मुसलमानों के हित में कोई ठोस कारवाई नहीं की है । तथा उन प्रान्तों में जहां यूपीए के घटक दलों की सरकारें हैं वहां भी मिश्रा कमीशन व सच्चर कमिटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है । वहां वक्फ जायदादों पर सरकारी अतिक्रमण भी नहीं हटाया गया है । अगले २-३ महीनों में भी मुसलमान यूपीए तथा उसके घटक दलों की सरकारों की कारकर्दगी या निष्क्रीयता पर कणी नजर रखें गे ।

उत्तर प्रदेश में पिछले डेढ बरस में समाजवादी सरकार ने वोट के लिए मुसलमानों से किए गए अपने चुनावी वायदों में से एक भी पूरा नहीं किया । उसने न मुसलमानों को आरक्षण दिया अौर न ही सच्चर कमिटी की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया । बल्कि मुजफफरनगर मे मुसलमानों पर हुई बरबरता को रोकने मे भी समाजवादी सरकार नाकाम रही ।

उधर २९ जून २०१३ को अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी जी की सभा में किए गए एक पावरप्वाएंट प्रेजेंटेशन के जरीए साफ तौर पर बता दिया गया था कि मुसलमान बीजेपी से किन वजहों से बहुत अधिक नाराज हैं । यह प्रेजेंटेशन मीडिया में चर्चा में रहा तथा उसे इन्टरनेट पर देखा जा सकता है । लेकिन संघ परिवार, बीजेपी व श्री मोदी के सिद्धान्तों, पद्धति, कार्यशीलता तथा कथन में कोइ सुधार प्रतीत नही हुअा ।

अतः अगले चुनावों के लिए अपनी रणनीति तय करने के लिए देश के ज्यादातर मुसलमान बीजेपी, यूपीए व समाजवादी पार्टी से हट कर अन्य राष्ट्रीय व प्रान्तीय दलों व आजाद उम्मीदवारों में से अपनी पसन्द चुनना चाहते हैं ।

चुनाव में मुसलमानों का समर्थन पाने के इच्छुक राष्ट्रीय व प्रान्तीय दलों व आजाद उम्मीदवारों को समय सीमाबद्ध तरीके से मुसलमानों के २० काम करने का वयदा अपने लेटरहेड पर लिख कर मुस्लिम संस्थाओं को देना होगा, उन्हें उसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखना होगा तथा अपनी सभी चुनावी सभाअोंं में उनको उसे बार बार दोहराना हो गा । इसके अलावा अगर किसी ऐसे दल को अगले चुनाव में मुसलमानों का वोट चाहिए जिसकी सरकार इस समय भी कहीं चल रही है तो वहां उसे इस समय भी मुसलमानों के २० काम करना तुरन्त अारम्भ कर देना हो गा ।

इन २० कामों का विवरण राजधानी व अन्य प्रान्तों में संपन्न सभाअोंं में किया जा चुका है तथा उनकी सूचि यहां दी जा रही है ।

मुसलमानों के 20 काम

आने वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमान इन मुद्दों को अपने सामने रखेंगे

1. आतंकवाद के आरोप में पकडे गए व्यक्तियों के मुक़दमों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन किया जाए । केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा चिट्ठी जारी करना काफी नहीं है बल्कि हर राज्य में कोर्ट की स्थापना का आदेश तुरन्त जारी करना हो गा । (गृह मंत्रालय के लिए काम)

2. आतंकवाद के आरोप से अदालतों द्वारा बरी किए जाने वाले हर व्यक्ति को 50 लाख रुपेय का मुआवज़ा भारपाई के लिए दिया जाए। (गृह मंत्रालय का काम)

3. योजनाबद्ध साम्प्रदायिक हिंसा को न होने देने के लिए कार्यवाही बिल को तुरन्त संसद में पास करवाया जाए ।

4. अनुसूचित जाति की परिभाषा को धर्म की शर्त से मुक्त किया जाए। संसद में एक सरल प्रस्ताव पारित करके 1950 के अध्यादेश में से पैरा (3) को निकाल दिया जाए ।
(मिश्रा आयोग तथा सच्चर समिति के सुझाव अनुसार) (क़ानून मंत्राल का काम)

5. मुसलमानों की अधिसंख्या वाले उन चुनाव क्षेत्रों को जिन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, आरक्षण से मुक्त किया जाए। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तुरन्त नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित किया जाए जिसे स्पष्ट निर्देशों के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करने का दायित्व सौंपा जाए।
(सच्चर समिति के सुझाव के अनुसार)(क़ानून मंत्रालय के लिए काम)

6. आधिकारिक पदों पर मुसलमानों को नामांकित करने के लिए कार्यविधि बनाई जाए।
(सच्चर समिति, मिश्रा आयोग)(कैबिनेट सचिवालय तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व)

7. अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण में मुसलमानों का 67 प्रतिशत भाग निर्धारित किया जाए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73 प्रतिशत हैं। (मिश्रा आयोग रिपोर्ट)(क़ानून मंत्रालय)

8. प्रतिभाओं के विकास के कार्यक्रम (skill development programme) तथा अन्य आर्थिक अवसरों में मुसलमानों के लिए बजट में अलग से विशेष अंश निर्धारित किया जाए।
(हर्ष मंदर तथा अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट Promises to Keep के अनुसार)
(योजना आयोग, वित्त मंत्रालय)

9. अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम का बजट बढ़ा कर कुल योजना बजट के 19 प्रतिशत तक किया जाए ।
(हर्ष मन्दर व अन्य विशेषज्ञों का सुझाव)
(अल्पसंख्यक मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय)

10. मुसलमानों के विकास के लिए बनाई जाने वाली ढांचागत योजनाओं तथा उनके क्रियान्वन के लिए ज़िला अथवा ब्लाक के बजाए नगरों में वार्ड को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव को इकाई बनाया जाए।
(हर्षमन्दर व अन्यों का सुझाव)(योजना आयोग)

11. 1400 अतिरिक्त आई.पी.एस अधिकारियों की विशेष भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (एल.सी.ई) की नीति को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस विधि से मुसलमानों के लिए अवसर बन्द हो जाते हैं।
(पर्सोनेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय)

12. इण्डियन वक़्फ़ सर्विस गठित की जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह कई राज्यों में हिन्दू मन्दिरों, धर्मशालाओं तथा न्यासों के प्रबंधन के लिए राज्यों के क़ानून के अन्तर्गत सरकार वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती करती है।
(सच्चर समिति) (पर्सोनेल मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय)

13 (क) वक़्फ़ कानून 2013 में जेपीसी व सच्चर कमिटी के जो निम्नलिखित अत्यावश्यक सुझाव सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें तुरन्त वक्फ रूल्स व विभागीय नर्देशों के द्वारा जमीनी स्तर पर लागू कर दिया जाए:

(i) सेन्ट्रल वक्फ काउन्सिल के सेक्रेट्री का सरकारी स्तर भारत सरकार में ज्वाएन्ट सेक्रेट्री से कम स्तर का नहीं हो गा ।

(ii) किसी भी वक्फ जायदाद को उस समय बाजार में प्रचिलित किराय की न्याय संगत दर से कम पर लीज पर नहीं दिया जाए गा ।

(iii) राज्य वक्फ बोर्ड को कोइ भी लीज आदेश जारी करने से पहले उस के मसवदे को राज्य सरकार को भेजने की आवश्यकता नहीं हो गी । (सच्चर समिति तथा जे.पी.सी.वक्फ़) (अल्पसंख्यक मंत्रालय)

13 (ख) पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा मुख्यमंत्रियों को भेजे गए पत्र स. 71-PMO/76, March 26, 1976 पर कार्रवाई की जाए । (इस की प्रति सच्चर समिति की रिपोर्ट में पेज 223 पर दी गयी है)। इसके अनुसार केन्द्र तथा राज्यों में सरकारों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही वक़्फ़ सम्पत्तियों को मुक्त किया जाए तथा उन्हें राज्य वक़्फ़ बोर्डों के नियंत्रण में दिया जाए।
(सच्चर समिति रिपोर्ट, जेपीसी वक़्फ़) (प्रधानमंत्री कार्यालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय)

14(क). मदरसों के लिए बनाई गयी योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम) का प्रचार उर्दू तथा अन्य भाषाओं में किया जाए। इस के लिए हर साल जारी की जाने वाली 50 लाख रुपेय की ग्राण्ट उपयोग में नहीं लाई जाती है।
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

14(ख). मदरसों की डिग्रियों को स्कूल व कालेजों की डिग्रियों के समानान्तर बनाया जाए। इस विषय में मानव संसाधन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डीओपीटी के 23.2.2010 के जिस आदेश का जिक्र किया है उसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं में देश के विभिन्न राज्यों के समाचरपत्रों में प्रकाशित किया जाए ।
(सच्चर समिति) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

15(क). यूनिवर्सटियों व काेलेजों में प्रवेष के लिए सक्षमता को केवल 60% आधार माना जाए । बाकी 40% आधार क्षात्र या क्षात्रा की बैकवर्डनेस को माना जाए । बैकवर्डनेस को तीन बराबर भागों में आंका जाएः- (i) क्षात्र या क्षात्रा की पारिवारिक आमदनी, (ii) क्षात्र या क्षात्रा के आवासीय क्षेत्र की बैकवर्डनेस, तथा (iii) क्षात्र या क्षात्रा के क्लास की बैकवर्डनेस । (सच्चर कमिटी, रिपोर्ट स्टेटमेन्ट 12.1) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

(ख) सर सय्यद अहमद खां के द्वारा स्थापित अलीगढ मुस्लिम विश्वविधालय को अल्पसंख्यक संस्था का रुतबा प्रदान किया जाए । अल्पसंख्यकों के द्वारा अन्य सभी इदारों को भी ऐेसा ही रुतबा दिया जाए ।
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

16. बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज मुक्त बैंकिंग का विकल्प शुरू किया जाए। इस संदर्भ में योजना आयोग की कार्य विधि में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए गठित रघूराम राजन समिति के महत्वपूर्ण सुझावों को लागू किया जाए।
(योजना आयोग)

17. राज्यों में सेण्ट्रल उर्दू टीचर्स स्कीम के क्रियान्वन की निगरानी की जाए और जहां यह योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है वहां उसे क्रियान्वित कराया जाए।
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

18. समान अवसर आयोग (Equal Opportunity Commission) का गठन किया जाए। इसकी रूप रेखा विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले ही तैयार कर चुकी है। (सच्चर समिति सुझाव)(अल्पसंख्यक मंत्रालय)

19. विविधता सूची पर आधारित छूट योजनाओं (Schemes for Incentives based on Diversity Index) लागू की जाएं। इनकी रूप रेखा भी विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले तैयार कर चुकी है।
(सच्चर समिति सुझाव)(अल्पसंख्यक मंत्रालय)

20(क). मुसलमानों के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में तथा उनके क्रियान्वन की निगरानी में मुस्लिम समुदाय के लाभार्थी वर्ग को शामिल किया जाए। (कैबिनेट सचिवालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय)

20(ख). मुसलमानों में से मुट्ठी भर चयनित व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के बजाए पूरे मुस्लिम समुदाय के सामूहिक हित को सुनिश्चित किया जाए।